न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः— 52 / 2016 (18 आयुध अधिनियम 1959) (R.C.M.S . no 2016/00058)

जीतेन्द्र कटारा पुत्र श्री अशोक कुमार कटारा जाति ब्राहमण निवासी न्यू बस स्टैण्ड, शर्मा कॉलोनी मनियां थाना जिला धौलपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर।

.....रैस्पोडैन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर दिनांक 12.7.2016 बाबत चाहने नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र अनुज्ञा ।

उपस्थितिः—

1. श्री दिनेश शर्मा वकील अपीलान्ट।
2. सहायक लोक अभियोजक भरतपुर।

निर्णय

दिनांकः 27.9.2019

यह अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के निर्णय दिनांक 12.7.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट ने दिनांक 21.11.2012 को एक आवेदन पत्र नवीन अनुज्ञापत्र जारी करने हेतु अति0 जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जो बाद कार्यवाही दिनांक 3.6.2014 को खारिज कर दिया गया। जिसकी अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई। न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 18.12.2015 को निर्णय पारित करते हुये यह प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया। तहत अदालत ने न्यायालय हाजा के निर्देशानुसार रिमाण्ड प्रकरण में पुनः सुनवाई कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.7.2016 पारित किया है जिसके अंतर्गत अपने पूर्व निर्णय 3.6.2014 को यथावत रखते हुये अपील खारिज की गई है । इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि अपीलान्ट ने दिनांक 21.11.2012 को आवेदन पत्र नवीन अनुज्ञापत्र जारी करने हेतु अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया उक्त आवेदन पर संबधित विभागों से रिपोर्ट प्रापत की गई। पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 5.3.2013 में अंकित किया है वर्तमान में शस्त्र अनुज्ञापत्र बहुत बडी संख्या में आस्तित्व में है इन अंसख्य शस्त्र अनुज्ञापत्रों के आस्तित्व में रहने से लोक शांति एवं जन सुरक्षा की स्थिति को नियत्रित एवं व्यवस्थित किये जाने का मामला एक गम्भीर विषय ही नहीं बल्कि पुलिस प्रशासन के लिये

एक समस्या की तरह उत्पन्न हो गया है। जिला पुलिस अधीक्षक की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र दिनांक 3.6.2014 को खारिज कर दिया गया । इसके विरूद्ध अपीलान्ट ने अपील श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत की गई जो पूर्व में न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 18.12.2015 के द्वारा स्वीकार कर पुनः इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की गई कि अनुज्ञापत्र प्राधिकारी जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर आर्म्स एक्ट की धारा 13 में अपेक्षित जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की अपीलान्ट के चरित्र एवं व्यक्तित्व एवं हथियार के औचित्य संबधी विस्तृत एवं सारगर्भित रिपोर्ट प्रापत करें । अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सी आई डी (वि0शा0) जोन भरतपुर से प्राप्त दोनों रिपोर्ट में आये विरोधाभास की स्थिति को स्पष्ट करें। तहत अदालत ने दोनो जगह पुलिस अधीक्षक धौलपुर व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट मंगाने के बाद बिना किसी आधार के अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र पुनः खारिज कर दिया है जिसके विरूद्ध यह अपील पुनः पेश की गई है। अपीलान्ट कपडे का थोक व्यापार करता है उसे अपने व्यापार के सिलसिले में आगरा धौलपुर व मनिया आदि स्थानों पर आना जाना पडता है इसलिये अपीलान्ट को अपनी आत्म–सुरक्षा हेतु लाईसेंस की आवश्यकता है। इस तथ्य पर अदालत तहत ने कतई विचार नहीं करते ुये आज्ञा जेरे अपील पारित किये जाने में कानूनी गलती की है। यह कि अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक सी आई डी (वि0शा) जोन भरतपुर की रिपोर्ट दिनांक 29.5.2016 में अंकित किया है कि आवेदक को इस कार्यालय के पत्रांक 1878 दिनांक 24.6.2013 द्वारा प्रेषित पुनः जांच रिपोर्ट को आधार मानते हुये शस्त्र अनुज्ञापत्र दिया जाना उचित होगा'' तहत अदालत ने उक्त रिपोर्ट पर कतई विचार नहीं किया है। पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट दिनांक 5.3.2016 में अपीलान्ट के खिलाफ ऐसा कोई कारण नहीं दिया है जिससे कि नियमों के अनुसार नवीन अनुज्ञापत्र जारी नहीं किया जा सके। पुलिस द्वारा अपनी पूर्व रिपोर्ट दिनांक 5.3.2016 में अपीलान्ट को हिस्ट्रीशीटर नहीं बताया है, अपीलान्ट के खिलाफ कोई आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं बताया है मगर फिर भी लायक अदालत तहत ने महज पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र बाबत नवीन अनुज्ञापत्र खारिज करने में कानूनी गलती की है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि तहत अदालत का निर्णय विधि सम्मत् नही है। अतः अपील स्वीकार कर तहत अदालत का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र बाबत चाहने नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र को स्वीकार किये जाने आदेश दिये जावे।

रैस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक द्वारा तहत अदालत जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.7.2016 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। यह है कि यह प्रकरण श्रीमान अदालत हाजा के समक्ष दूसरी बार प्रस्तुत हुआ है जिसमें अपीलान्ट के द्वारा नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी किये जाने की मांग की

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गई है। जबकि तहत अदालत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा अपने गत आदेश दिनांक 3.6.2015 एवं श्रीमान जी के निर्णय दिनांक 18.12.2015 की पालना में विधिवत सुनवाई एवं न्यायिक प्रक्रियाओं की पूर्ति के उपरान्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.7.2016 पारित किया है। जिसमें अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र बाबत नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी किये जाने को खारिज किया गया है। प्रकरण में नये सिरे से जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट दिनांक 3.3.2016 प्राप्त हुई जिसमें उनके द्वारा पुनः स्पष्ट किया है कि अपीलान्ट के नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र दिये जाने के संबध में समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों का अवलोकन एवं मनन किया गया और यह निष्कर्ष निकला कि अपीलान्ट के जीवन की सुरक्षा को ऐसा कोई खतरा नजर नहीं आता है एवं अपीलान्ट को नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र नहीं दिये जाने की अनुशंषा की है। इसके अलावा तहत अदालत के समक्ष चूंकि अपीलान्ट के द्वारा ऐसा कोई जिनायन कारण स्पष्ट नहीं किया है जिससे उन्हें हथियार की आवश्यकता हो और ना ही जिला पुलिस विभाग से तलब की गई रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया है कि अपीलान्ट को हथियार की वेहद आवश्यकता है। बल्कि जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 5.3.2013 में अंकित किया है कि अपीलान्ट को नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी किये जाने के संबध में ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है। वास्तविक स्थिति यह है कि जिले में भारी तादाद में शस्त्र अनुज्ञापत्र आस्तित्व में है इन अंसख्य शस्त्र अनुज्ञापत्रों के आस्तित्व में बने रहने से लोक शांति एवं जन सुरक्षा की स्थिति को नियन्त्रित एवं व्यवस्थित किये जाने का मामला एक गम्भीर विषय ही नहीं बल्कि पुलिस प्रशासन के लिये एक समस्या की तरह उत्पन्न हो गया है। श्रीमान जी के द्वारा निर्णय दिनांक 18.12.2015 की अक्षरशः पालना की गई है दौराने सुनवाई यह स्पष्ट हो चुका है कि अपीलान्ट के जीवन को ऐसा कोई खतरा नहीं है। अपीलान्ट को आयुध अधिसिनयम 1959 की धारा 17(3) के तहत नोटिस देकर अपीलान्ट का जरिये वकील बखूबी पक्ष सुना गया है। धारा 17(3) (बी) पब्लिक पीस, पब्लिक सैफ्टी के हित में अनुज्ञापत्र को निलम्बन करने एवं निरस्त करने का प्राधिकार देती है। जहां अनुज्ञापन अधिकारी ऐसा करना उचित व आवश्यक समझे। जहां तक प्रश्न अनुज्ञापन अधिकारी की सन्तुष्टि का है वह पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर ही हो सकती है जो कि लोक शान्ती व सुरक्षा के लिये जिले के उत्तरदायी अधिकारी है। इस प्रकरण में यह स्पष्ट हो चुका है कि अपीलान्ट को न तो हथियार कोई जरूरत है ना ही उनकी जान को कोई खतरा है। यह तथ्य जिला पुलिस आधीक्षक धौलपुर की इस रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो चुका है इसलिये जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट को मध्यनजर रखते हुये तहत अदालत ने आर्म्स एक्ट की धारा 17(3)(बी) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अपीलान्ट का नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र चाहने हेतु प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया है जो न्यायिक है। अतः अपील खारिज की जावे।

सत्यमेव जयते
Web copy - Not Official

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह प्रकरण अदालत हाजा के समक्ष दूसरी बार प्रस्तुत हुआ है प्रकरण में अपीलान्ट के द्वारा नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी किये जाने की मांग की जा रही है जिसे तहत अदालत ने गत आदेश दिनांक 3.6.2015 एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.7.2016 से नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी किये जाने के औचित्य को दृष्टिगत रखते हुये खारिज की गई है। दौराने पारित अपीलाधीन आदेश तहत अदालत ने विधिवत सुनवाई की जाकर जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से नये सिरे से रिपोर्ट भी तलब की गई है जो अपीलान्ट के प्रतिकूल है। पुलिस विभाग से तलब की गई रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट हो चुका है कि जिले में भारी तादाद में शस्त्र अनुज्ञापत्र आस्तित्व में है इन अंसख्य शस्त्र अनुज्ञापत्रों के आस्तित्व में बने रहने से लोक शांति एवं जन सुरक्षा की स्थिति को नियन्त्रित एवं व्यवस्थित किये जाने का मामला एक गम्भीर विषय ही नहीं बल्कि पुलिस प्रशासन के लिये एक समस्या की तरह उत्पन्न हो गया है। इसी संदर्भ में आयुध अधिनियम 1959 की धारा 13 के अंतर्गत जिला अधिकारी न्यायिक अधिकारी नहीं है, बल्कि प्रशासनिक अधिकारी है **(8कि0 लॉ ज0 347–4 एन.एन.आर. 134)** इसी क्रम में न्यायिक दृष्टान्त **1956 कि0 लॉ0 ज 105–ए. आई. आर.1956 पंजाब 33** में सिद्धान्त प्रतिपादित है कि प्रशासनिक अधिकारी अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत शासन के हित तथा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये आयुध के अनुज्ञप्तिकरण के मामले में स्वयं के विवेकानुसार कार्य करने में सक्षम है। इसके अलावा मानवीय दृष्टिकोण और इंसानियत से ओतप्रोत न्यायिक दृष्टान्त **ए0आई0आर0 1953 मद्रास 476– 153 कि0 लॉ0 ज 917** में यह स्पष्ट किया है कि आयुधो का स्वतन्त्र अर्जन तथा उपयोग सामान्य जनता के हित को ध्यान में रखते हुये नियन्त्रित किया जाता है। अनियन्त्रित अग्नायुधों का उपयोग लोकहित के लिये हानिकारक हो सकता है इसके अलावा इसके द्वारा हिंसात्मक क्रान्ति, नरसंहार, आगजनी तथा लोकशान्ती में हिंसात्मक उपद्रव कर सकते हैं। दूसरी तरफ आयुध अधिनियम व्यक्तियों के हाथ शान्तिमय जीवन, मनोरंजन, आनन्द तथा शिकार के अलावा दुष्ट व्यक्तियों तथा जंगली जानवारों से रक्षा तथा रक्षोपाय सुनिश्चित करते हैं। अधिनियम की प्रस्तावना में उल्लेखित लोक प्रयोजनों (public purpose) को सुनिश्चित करने हेतु विधि तन्त्र निर्देशित किया गया है। अनुज्ञापन अधिकारी को यह निश्चित करने हेतु कि किसको अनुज्ञप्ति दी जाये अथवा किसको न दी जाये, विवेक शक्ति प्राप्त है। इसी क्रम में एक अन्य न्यायिक दृष्टान्त **ए0 आई0 आर0 1958 कलकत्ता 420** जो इस प्रकरण में पूर्ण रूपेण चस्पा होता है जिसमें यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि विधि के अन्तर्गत उन व्यक्तियों के हित में जो दोषमुक्त हो गये हैं लाईसेन्स देने से इन्कार करने के विरूद्ध निषेध नहीं है, क्यों कि आयुधों का अनुज्ञप्तिकरण लोकहित (public interest) में किया जाता है तथा यह आवश्यक नहीं है कि अनुज्ञप्ति देने से इन्कार उन व्यक्तियों तक ही सीमित रहे जो संगीन अपराध के दोषी हो। इसके अलावा रिमाण्ड किये गये प्रकरण की सुनवाई के दौरान जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलान्ट को सुनवाई का समुसचित अवसर दिया गया है। अपीलान्ट की ओर से ऐसा कोई जिनायन कारण स्पष्ट नहीं किया गया जिससे उनको नया गन लाईसेंस जारी किया जाना वेहद आवश्यक माना जा सके। पुलिस रिपोर्ट में भी अपीलान्ट के कथनों की ताईद न किया जाकर यह स्पष्ट किया है कि समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों का अवलोकन एवं मनन किया गया और यह निष्कर्ष निकला कि अपीलान्ट के जीवन की सुरक्षा को ऐसा कोई खतरा नजर नहीं आता है। अपीलान्ट का यह कहना कि उनका चरित्र पाक–साफ है । हमारी विनम्र राय में यह स्पष्ट है कि किसी सामाजिक व्यक्ति का चरित्र पाक–साफ होना उसके लिये शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी किये जाने की ताईद नहीं करता है। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला पुलिस अधीक्षक दोनों ही अधिकारी जिले में शान्ति एवं कानून व्यवस्था स्थापित किये जाने हेतु जिम्मेदार है और यह उनका दायित्व भी बनता है बिना कोई औचित्य के बिना कोई जिनायन कारण के एक सभ्य समाज में हथियारों के लिये नये लाईसेंस जारी किया जाना वर्तमान समाज के बदलते स्वरूप के मध्यनजर कतई मुनासिब नहीं रहता है। लिहाजा तहत अदालत द्वारा रिमाण्ड किये गये प्रकरण में विधि–अनुकूल नये सिरे से परीक्षण किया जाकर गुणावगुण के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है और अपील अपीलान्ट बिना किसी ठोस आधार के अभाव में खारिज योग्य ही रहती है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा तहत अदालत का निर्णय दिनांक 12.7.2016 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.9.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर मूथा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official